राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 64/2017 अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट सकुबाई बनाम छगनलाल व अन्य

निर्णय आदेशिका
दिनांक 30–6–2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पं.स. सिरोही के सभा भवन मे मेरे समक्ष पेश हुई । विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व वकील अप्रार्थीगण कोई भी केम्प कोर्ट की सूचना होने के बावजूद हाजिर नही हुये है। स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही उपस्थित होकर विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । हमने पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट मौजा सिरोही की पुरानी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता नंबर 368 खसरा नंबर 2594 रकबा 7.04 तथा नई जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 487 खसरा नंबर 3372 रकबा 1.1700 हेक्टेयर महकमा बंदोवस्त की नकल वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील संख्या 313/2011 (68/93) की आदेशिका अर्जी व स्थगन,राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन अपील संख्या 69/93 तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत जवाब दिनांक 28–11–2017 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी की पुरानी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता नंबर 368 खसरा नंबर 2594 रकबा 7.04 तथा नई जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 487 खसरा नंबर 3372 रकबा 1.1700 हेक्टेयर प्रार्थीया उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार कृषक नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की माता श्रीमती कारी पत्नि पुराजी पुत्री पुराजी जाति मेगवाल सा.देह खातेदार दर्ज है जिस पर पिछले कई वर्षो से कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का ही प्रार्थीया की जानकारी मे चला आ रहा है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे इसलिये जाहिर होता है कि पिछले कइ वर्षो से शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के लगातार सम्पूर्ण हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीया को उसके अधिकारों से वंछित होने की कोई संभावना नही है। हस्तगत प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या एक ता 5 की माता कारी पत्नि पुराजी पुत्री पुराजी मेगवाल प्रश्नगत आराजी के अभिलिखत खातेदार है। और इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण जो टाईटल व आधिपत्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थीया उक्त प्रार्थनापत्र को सिद्व करने मे असफल रही है।अतः प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण,सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति के बिन्दुं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 तक के पक्ष मे जाना जाहिर होता है। अतः विधि मे प्रावधानो के तहत अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद नही किया जा सकता है। अतः उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 तक का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। उपरोक्त निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट पं.स. सिरोही के सभा भवन मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

30/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)